



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / गोपनीय / 2023 / 66  
प्रति,

दिनांक 07/08/2023

विभागाध्यक्ष / प्राचार्य,  
समस्त सम्बद्ध अध्ययनशाला / महाविद्यालय,  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।

**विषय:-** परीक्षाओं / प्रायोगिक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में आने वाले शिक्षकों के यात्रा-भत्ता एवं अन्य देयकों के भुगतान विषयक ।


**संदर्भ:-** क्रमांक / आरएडी / विवि / 2023-24 / आ. / 57 दिनांक उज्जैन 21/07/2023

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि विक्रम विश्वविद्यालय परीक्षाओं / प्रायोगिक परीक्षाओं / पीएच.डी. / मौखिकी एवं अन्य कारणों से आने वाले शिक्षकों / अतिथियों के यात्रा-भत्ता, मानदेय एवं रेम्यूनशन आदि का भुगतान किया जाता है । वर्तमान में यह परिलक्षित हो रहा है कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी परीक्षकों को नगद भुगतान किया जाय स्वयं प्रतिपूर्ति हेतु देयक प्रस्तुत किये जा रहे हैं । परीक्षकों द्वारा भुगतानकर्ता के नाम पर भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र हस्ताक्षर कर जारी कर दिया जाता है । वर्तमान में नगद भुगतान को पूर्णतः रोकने का निर्देश है । अतः संबंधित परीक्षकों के बैंक खातों के विवरण प्राप्त किये जाकर सीधे ही उनके खाते में राशि का अंतरण किया जाये साथ ही निजी वाहन से यात्रा की स्वीकृति नियमानुसार माननीय कुलपतिजी से अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये अन्यथा की स्थिति में देयक पारित किये जाने संभव नहीं होगा ।

सह. सहायक कुलपति एवं निजी सहायक  
की प्रति

आदेशानुसार


  
कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

दिनांक- 07/08/2023

क्रमांक / गोपनीय / 2023 / 67  
प्रतिलिपि-

1. माननीय कुलपति एवं कुलसचिवजी के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ ।
2. उपसहायक कुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
3. कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर उक्त सूचना को वि०वि० की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
4. लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

  
सहायक कुलसचिव

कार्यालय आवासीय सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक/आर.ए.डी./वि.वि./2023-24/आ./57


उज्जैन, दिनांक - 21.07.2023

प्रति,

✓ कुलसचिव  
विक्रम विश्वविद्यालय  
उज्जैन (म.प्र.)

विषय :- परीक्षाओं/प्रायोगिक परीक्षाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में आने वाले शिक्षकों के यात्रा-भत्ता एवं अन्य देयकों के भुगतान विषयक।

विषयांतर्गत लेख्य है कि विक्रम विश्वविद्यालय में परीक्षाओं/प्रायोगिक परीक्षाओं/पी.एच.डी./मौखिकी एवं अन्य कारणों से आने वाले शिक्षकों/अतिथियों को यात्रा-भत्ता, मानदेय एवं रेम्युनरेशन आदि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में यह परिलक्षित हो रहा है कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी द्वारा परीक्षकों को नगद भुगतान किया जाकर स्वयं प्रतिपूर्ति हेतु देयक प्रस्तुत किये जा रहे हैं। परीक्षकों द्वारा भुगतानकर्ता के नाम पर भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र हस्ताक्षर कर जारी कर दिया जाता है। वर्तमान में नगद भुगतान को पूर्णतः बंद किये जाने के निर्देश हैं। अतः संबंधित परीक्षकों के बैंक खातों के विवरण प्राप्त किये जाकर सीधे ही उनके खातों में राशि का अंतरण किया जाये। साथ ही निजी वाहन से यात्रा की स्वीकृति नियमानुसार माननीय कुलपति महोदय से अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये। अन्यथा की स्थिति में देयक पारित किये जाना संभव नहीं होगा।

  
आवासीय सहायक संचालक  
स्थानीय निधि संपरीक्षा,  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक - 21.07.23

पृ. क्रमांक/आर.ए.डी./वि.वि./2023-24/आ./

प्रतिलिपि:-

1. मा. कुलपति के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आवासीय सहायक संचालक  
स्थानीय निधि संपरीक्षा,  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

गोप.  
1204  
7-7-23  
1/151  
5